सं.एफ. 6/2/99-डीसीएच/2011-12/डीएचडीएस

वस्त्र मंत्रालय

सं.एफ. 6/2/99-डीसीएच/2011-12/डीएचडीएस
वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 28 नवम्बर, 2011

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के हथकरघा प्रभारी सचिव ।
2. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आयुक्त/प्रभारी निदेशक।
3. कार्यकारी निदेशक, नाबार्ड, मुंबई
4. सीजीटीएमएसई, मुंबई
5. मुख्य कार्यकारी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

विषय : हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश

महोदय/महोदया,

''हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज'' 3884 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चालू वित्त वर्ष से शुरू होकर कार्यान्वित किया जाएगा। अपेक्षित धनराशि कार्यान्वयन एजेंसी, नाबार्ड के पास रखी जाएगी । इससे देशभर की 15000 सहकारी सोसाइटियां तथा 3 लाख बुनकर लाभान्वित होंगे । अर्थक्षम और संभावित रुप से अर्थक्षम प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियों और शीर्ष सोसाइटियों के साथ-साथ उन व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों, मास्टर बुनकरों, स्व-सहायता समूहों और संयुक्त जबावदेह समूहों के संबंध में, जिन्होंने हथकरघा बुनाई के प्रयोजनार्थ ऐसे ऋण लिए हों, दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार जो मूलधन और ब्याज अतिदेय हो गया हो उसकी क्रमश: 100% और 25% की वापसी अदायगी करने के लिए इस योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाएंगी बशर्ते कि बैंक नए ऋण मंजूर करने पर सहमत हो जाएं। जहां तक इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण करने का संबंध है, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों की अतिदेय राशियों को माफ करने के संबंध में प्रति व्यक्तिगत लाभार्थी की समग्र सीमा 50,000 रुपये होगी ।

2. सरकार ने इस योजना में शामिल पात्र हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को बैंको द्वारा दिए गए नए ऋण की संवितरण की तारीख से 3 वर्ष के लिए 3% के ब्याज परिदान करने का भी अनुमोदन किया है। यह ब्याज परिदान ऋण के अप्रयोज्य होने की तारीख के बाद उपलब्ध नहीं कराया जाएगा । सरकार नए ऋणों के प्रथम संवितरण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी हेतु सीजीटीएमएसई को भुगतान करने के लिए 1% की दर से गारंटी शुल्क तथा 0.5% की दर से वार्षिक सेवा शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक प्रावधान करेगी।

ये दिशा-निर्देश आपकी समुचित कार्रवाई के लिए संलग्न है ।

भवदीय,

Sd/-

(आर.एन.चौबे)

विकास आयुक्त (हथकरघा)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-

1. योजना आयोग (वीएसई), योजना भवन, नई दिल्ली ।
2. आंतरिक वित्त स्कंध, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली ।
3. वेतन एवं लेखा कार्यालय (वस्त्र) उद्योग भवन, नई दिल्ली ।
4. विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय के सभी अपर विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त/उप निदेशक , उद्योग भवन, नई दिल्ली ।
5. सभी बुनकर सेवा केन्द्र/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान ।
6. एनआईसी – दिशा-निर्देशों को हथकरघा वेबसाइट www.handlooms.nic.in पर डालें ।

“ हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज ”

योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

"हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज" के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश

वित्त मंत्री ने दिनांक 28.02.2011 को वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि अतिदेय ऋणों को माफ करने के लिए भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज का कार्यान्वयन करने के लिए 3000 करोड़ प्रदान करेगी। बजट घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार ने अब यह योजना अनुमोदित कर दी है।

2. 3884 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय से केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित एक नई योजना के रूप में चालू वित्त वर्ष से शुरू होकर ''हथकरघा क्षेत्र के पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्गठन के लिए पैकेज'' कार्यान्वित किया जाएगा। वित्तीय पैकेज का घटक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिसके लिए अपेक्षित धनराशि कार्यान्वयन एजेंसी, नाबार्ड के पास रखी जाएगी :-

क्र.सं.	संघटक	करोड़ रूपये
1.	दिनांक 31.03.2010 की स्थिति अनुसार हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों का ऋण माफ करना और पुनर्पूंजीकरण करना	3021
2.	दिनांक 31.03.2010 की स्थिति अनुसार व्यक्तिगत बुनकर ऋणों की माफी	500
3.	बुनकर सहकारी सोसाइटियों का सुदृढ़ीकरण	88
4.	नए ऋणों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	180
5.	नए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी	25
6.	कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण	30
7.	हानि मूल्यांकन प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन की लागत	40
	कुल	3884

3. 3884 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय में से भारत सरकार का हिस्सा 3137 करोड़ रूपये तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 747 करोड़ रूपये होगा।

4. हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों (उक्त सारणी में क्रमश: क्रम सं. 1 और 2) के ऋणों को माफ करने और पुनर्पूंजीकरण के लिए अपेक्षित निधियों में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारी निम्नलिखित अनुपात में होगी:-

क्र.सं.	लाभार्थी	सामान्य श्रेणी के राज्य (केन्द्र:राज्य)	विशेष श्रेणी के राज्य (केन्द्र:राज्य)
(i)	राज्य स्तरीय शीर्ष सोसाइटियां	75:25	90:10
(ii)	प्राथमिक हथकरघा सहकारी सोसाइटियां	80:20	90:10
(iii)	व्यक्तिगत बुनकर/एसएचजी आदि	80:20	90:10

5. अर्थक्षम और संभावित रुप से अर्थक्षम प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियों और शीर्ष सोसाइटियों के साथ-साथ उन व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों, मास्टर बुनकरों, स्वं-सहायता समूहों और संयुक्त जबावदेह समूहों, जिन्होंने हथकरघा बुनाई के प्रयोजनार्थ ऐसे ऋण लिए हों, दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार जो मूलधन और ब्याज अतिदेय हो गया हो उसका क्रमश: 100% और 25% की वापसी अदायगी करने के लिए इस योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाएंगी वशर्ते कि बैंक नए ऋण मंजूर करने पर सहमत हो जाएं। जहां तक इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण करने का संबंध है, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों की अतिदेय राशियों को माफ करने के संबंध में प्रति व्यक्तिगत लाभार्थी की समग्र सीमा 50,000 रुपये होगी ।

6. सरकार ने इस योजना में शामिल पात्र हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को बैंको द्वारा दिए गए नए ऋण की संवितरण की तारीख से 3 वर्ष के लिए 3% के ब्याज परिदान करने का भी अनुमोदन किया है। यह ब्याज परिदान ऋण के अप्रयोज्य होने की तारीख के बाद उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

7. सरकार नए ऋणों के प्रथम संवितरण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी हेतु सीजीटीएमएसई को भुगतान करने के लिए 1% की दर से गारंटी शुल्क तथा 0.5% की दर से वार्षिक सेवा शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक प्रावधान करेगी।

8. सरकार ने योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर तृ-स्तरीय समितियों के गठन का भी अनुमोदन प्रदान किया है । इसकी भूमिका, जिम्मेदारी तथा शक्तियों का उल्लेख **अनुलग्नक-।** में किया गया है ।

9. समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने और उस राज्य में नाबार्ड की टीम द्वारा विशेष लेखा परीक्षा पूरी किए जाने के बाद भारत सरकार के अंश की 80 प्रतिशत धनराशि जारी की जाएगी और शेष 20 प्रतिशत राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिक और संस्थायी सुधारों की प्रतिबद्धता पूरी किए जाने के बाद जारी की जाएगी।

10. ऋण माफी के लिए इस पैकेज से वापसी अदायगी अप्रयोज्य हुई आस्तियों **(एनपीए)** के ऋण की तारीख के अनुसार अतिदेय मूलधन के 100 % और अतिदेय ब्याज के केवल 25 % तक ही सीमित होगी। शेष 75 % अतिदेय ब्याज और समग्र दंड ब्याज, यदि कोई हो, बैंक द्वारा पूर्व शर्त के रूप में बट्टे खाते में डाला जाएगा।

11. राज्य सरकारों के नियंत्राणाधीन संस्थानों/एजेंसियों सहित केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्य सब्सिडी इत्यादि, जो तकरीबन 300 करोड़ रूपये है, एक पूर्व शर्त के रूप में संबंधित सरकार द्वारा अलग से पैकेज से बाहर भुगतान की जाएगी।

12. भारत सरकार की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) की तर्ज पर, जिसमें बैंक अतिदेय कृषि ऋणों को बट्टे खाते में डालने के बाद ही नए ऋण जारी करने को सहमत हुए, पैकेज के अंतर्गत पुनर्पूंजीकरण और बैंकों को हथकरघा सहकारी सोसाइटियों के बकाया ऋणों की अदायगी नए ऋण देने की प्रतिबद्धता दिए जाने के अध्यधीन होगी।

13. उल्लेखनीय है कि यह धनराशि अनंतिम है और योजना अनिवार्य रूप से ''मांग-मूलक'' है, अर्थात् सभी 'पात्र बुनकर सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों, जो मानदंड को पूरा करते हैं, के अतिदेय ऋणों और ब्याज को माफ किया जाएगा। ऐसी माफी की वास्तविक धनराशि का केवल विशेष लेखा परीक्षा और नाबार्ड द्वारा सभी ऐसे दावों की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा।

14. धोखाधड़ी, गबन तथा दुर्विनियोजन इत्यादि के कारण हुई हानि के लिए धनराशि नहीं दी जाएगी जिसे संबंधित संस्थानों यथा प्राथमिक बुनकर सोसाइटियों/शीर्ष बुनकर सोसाइटियों (स्टेकहोल्डरों) द्वारा वहन किया जाएगा।

15. "अर्थक्षम" और "संभावित रूप से अर्थक्षम" सोसाइटियों की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

(क) **निम्नलिखित मानकों/मानदंडों के आधार पर पहचानी गई अर्थक्षम प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियां (पीडब्ल्यूसीएस)**

(i) गत तीन वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग, परिचालन के आर्थिक स्तर के बराबर या अधिक होना चाहिए (ब्रेक ईवन लेबल)

(ii) निवल निपटान योग्य संसाधन (एनडीआर) और निवल पूँजी सकारात्मक होनी चाहिए)

(iii) विगत तीन वर्षों के लिए बिक्री, औसत उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिए

(iv) लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 तक पूरी हो।

(v) वर्ष में कम से कम दो बार कार्यशील पूँजी/ नकद ऋण सीमा रोटेट होनी चाहिए।

(ख) **निम्नलिखित मानकों/मानदंडों के आधार पर पहचानी गई संभावित रूप से अर्थक्षम प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियां (पीडब्ल्यूसीएस)**

(i) निवल पूँजी, सकारात्मक होनी चाहिए लेकिन गत तीन वर्षों में से दो से अधिक वर्षो तक आवर्ती परिचालनात्मक हानि नहीं होनी चाहिए।

(ii) गत तीन वर्षों के लिए बिक्री, औसत उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए

(iii) वर्ष 2009-10 तक लेखा परीक्षा पूरी हो

(iv) वर्ष में कम से कम एक बार कार्यशील पूँजी/नकद ऋण सीमा रोटेट होनी चाहिए

(ग) **गैर-अर्थक्षम** सोसाइटियाँ वे हैं जो उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं आती हैं

राष्ट्रीय कार्यान्वियन, निगरानी एवं समीक्षा समिति (एनआईएमआरसी) को इन परिभाषाओं में कोई भी संशोधन करने की शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन यह व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ही होगा ।

16. हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों (प्राथमिक और राज्य स्तरीय) के पुनरुद्धार की योजना और व्यक्तिगत बुनकरों के ऋण की माफी की योजना **अनुलग्नक-।। और ।।।** में संलग्न है । तथापि, एनआईएमआरसी को प्रचालनात्मक कारणों से इन योजनाओं में समुचित संशोधन करने की शक्तियां होंगी, बशर्ते वह संशोधन सीसीईए नोट के पैरा- 7 में यथा उल्लिखित अनुसार सीसीईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार हो ।

17. पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित विधिक और संस्थागत सुधारों व भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा नाबार्ड के बीच हस्ताक्षरित किया जाने वाला समझौता ज्ञापन **अनुलग्नक- iv और v** में है । तथापि, एनआईएमआरसी को प्रचालनात्मक कारणों से इन योजनाओं में समुचित संशोधन करने की शक्तियां होंगी, बशर्ते वह संशोधन सीसीईए नोट के पैरा- 7 में यथा उल्लिखित अनुसार सीसीईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार हो ।

18. नाबार्ड, एनआईएमआरसी का संयोजक है। यह योजना को शीध्र संचालनात्मक बनाने के लिए तत्काल एनआईएमआरसी की बैठक आयोजित करेगा। यह हानि आंकलन नियम-पुस्तिका भी तैयार करेगा और एनआईएमआरसी द्वारा इसे अनुमोदित कराएगा।

****

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय कार्यान्वयन मॉनीटरिंग और समीक्षा समिति (एनआईएमआरसी), राज्य कार्यान्वयन मॉनीटरिंग और समीक्षा समिति (एसआईएमआरसी) और जिला कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और समीक्षा समिति (डीआईएमआरसी) का गठन, भूमिका, जिम्मेदारी और शक्तियाँ ।

I. राष्ट्रीय कार्यान्वयन मॉनीटरिंग और समीक्षा समिति (एनआईएमआरसी)

एनआईएमआरसी को समयबद्ध ढंग से पुनरूद्धार पैकेज को कार्यान्वित किए जाने की जिम्मेदारी सौपी गई है।

गठन

क. सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार- **अध्यक्ष**

ख. विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

ग. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि

घ. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि

ङ योजना आयोग के प्रतिनिधि

च. प्रधान सचिव (पीएस)/निदेशक, राज्य सरकार हथकरघा (पैकेज कार्यान्वित करने वाले राज्य)

छ. महा प्रबंधक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र), सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक

ज. राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक (पैकेज कार्यान्वित करने वाले राज्य)

झ. प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक (पैकेज कार्यान्वित करने वाले राज्य)

त्र. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि

ट. भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधि

ठ. अध्यक्ष, नाबार्ड या उनके प्रतिनिधि - **संयोजक**

ड विशेष आमंत्रित सदस्य (अध्यक्ष आरआरबी, एमडी, सीएआरडीबी जो एनआईएमआरसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी अन्य प्रतिनिधि के अलावा आमंत्रित किए जा सकते हैं)।

भूमिका, जिम्मेदारियां और शक्तियाँ

1. पुनरूद्धार पैकेज के तहत समामेलित पैकेज के कार्यान्वियन की समीक्षा और मॉनीटरिंग करना
2. राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन का समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना
3. एडब्ल्यूसीएस और पीडब्ल्यूसीएस में विशेष लेखा परीक्षा उचित रूप से और समय पर सुनिश्चित करने के लिए विशेष लेखा परीक्षा के लिए नियमावली का अनुमोदन करना
4. एडब्ल्यूसीएस, पीडब्ल्यूसीएस और व्यक्तिगत बुनकरों के संबंध में वित्तीय सहायता की समग्र राशि को अंतिम रूप देना और अनुमोदन करना तथा इसे जारी करने की नाबार्ड से सिफारिश करना
5. सामान्य लेखा प्रणाली के कार्यान्वियन और उचित एमआईएस के लिए नीति निर्धारित करना
6. एडब्ल्यूसीएस और पीडब्ल्यूसीएस में एचआरडी पहलों के संबंध में नीति तैयार करना
7. "अर्थक्षम" और "संभावित रूप से अर्थक्षम" सहकारी सोसाइटियों को उचित रूप से परिभाषित कर प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियों और राज्य स्तरीय शीर्ष बुनकर सहकारी सोसाइटियों की पात्रता का निर्णय करना"
8. सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों के लिए वित्तीय पैकेज के कार्यान्वियन की योजनाओं को तैयार करना, संशोधन और अनुमोदित करना
9. भारत सरकार, राज्य सरकारों और नाबार्ड द्वारा किए जाने वाले समझौता ज्ञापन का अनुमोदन करना
10. अध्यक्ष महोदय, द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पैकेज के कार्यान्वियन के संबंध में अन्य कोई मुद्दा

आवधिकता : समिति की तिमाही आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार उससे पहले भी बैठक हो सकती है ।

II राज्य कार्यान्वियन मॉनीटरिंग और समीक्षा समिति (एसआईएमआरसी)।

एसआईएमआरसी की भूमिका राज्य में कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वियन की योजना बनाने, सुकर बनाने, समस्या हल करने और उस पर निगरानी रखने की है।

गठन

i. संबंधित राज्य के प्रधान सचिव (हथकरघा और वस्त्र) - **अध्यक्ष**
ii. नाबार्ड के प्रतिनिधि
iii. प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक
iv. प्रबंध निदेशक, शीर्ष बुनकर सोसाइटी
v. सनदी लेखाकार
vi. राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक के प्रतिनिधि
vii. विशेष आमंत्रित सदस्य (आवश्यकता अनुसार एसआईएमआरसी द्वारा निर्णय लिया जानाहै)
viii. निदेशक, संबंधित राज्य के हथकरघा (नोडल विभाग) - **संयोजक**

भूमिका और जिम्मेदारी

1. राज्य में पुरूद्धार पैकेज के तहत समामेलित पैकेज के कार्यन्वयन पर नजर रखना
2. एडब्ल्यूसीएस और पीडब्ल्यूसीएस में उचित और समय पर विशेष लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना
3. एडब्ल्यूसीएस और पीडब्ल्यूसीएस के संबंध में वित्तीय सहायता की मात्रा का पुनरीक्षण करना और उसे अंतिम रूप देना तथा एनआईएमआरसी को जारी करने के लिए नाबार्ड से सिफारिश करना
4. सामान्य लेखा प्रणाली और उचित एमआईएस स्थापित करना
5. एडब्ल्यूसीएस और पीडब्ल्यूसीएस में एचआरडी पहलों का मार्ग निर्देश करना और उन पर निगरानी रखना
6. समय-समय पर एनआईएमआरसी, नाबार्ड आदि को आवश्यक सूचना और प्रतिसूचना प्रस्तुत करना
7. एडब्ल्यूसीएस और पीडब्ल्यूसीएस द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना
8. फील्ड स्तरीय परिचालनात्मक समस्याओं को हल करना और राज्य में पैकेज के समग्र कार्यान्वयन करने का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना
9. राज्य में पैकेज के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य कोई मुद्दा

आवधिकता : समिति की तिमाही आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार उससे पहले भी बैठक हो सकती है ।

III. जिला कार्यान्वयन मॉनीटरिंग और समीक्षा समिति (डीआईएमआरसी)

हो सकता है कि सभी जिले डीआईएमआरसी गठित न कर सकें। अर्थक्षम और संभावित रूप से अर्थक्षम प्रथामिक बुनकर सोसाइटियों की संख्या के आधार पर क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जिन्हें पैकेज के तहत पुन: पूँजीकृत किया जा सकता है (वर्ष 2009-10 की लेखा परीक्षा विवरणी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इनकी पहचान की जानी है)।

गठन :

i. निदेशक, संबंधित राज्य का हथकरघा (नोडल विभाग) का प्रतिनिधि-संयोजक
ii. नाबार्ड के प्रतिनिधि (जहां पुनर्पूंजीकरण के तहत सोसाइटियों की संख्या अधिकतम है वहाँ संबंधित जिला/प्रमुख जिले के जिला विकास प्रबंधक)
iii. सनदी लेखाकार
iv. उस जिले/प्रमुख जिले में अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक जहाँ पुनर्पूंजीकरण के तहत सोसाइटियों की संख्या अधिकतम है
v. विशेष आमंत्रित सदस्य जब (कभी आवश्यक हो तो डीआईएमआरसी द्वारा निर्णय लिया जाना है)

भूमिका और जिम्मेदारी

1. पीडब्ल्यूसीएस में विशेष लेखा परीक्षा समय पर पूरी करना
2. जिले/क्लस्टर जिले में पीडब्ल्यूसीएस को वित्तीय सहायता की राशि को अंतिम रूप देना और एसआईएमआरसी और नाबार्ड को सिफारिश करना
3. जिले में कम्प्यूटरीकरण, एचआरडी और सीएएस का पर्यवेक्षण करना और
4. समय-समय पर एसआईएमआरसी, नाबार्ड आदि को आवश्यक सूचना और प्रतिसूचना प्रस्तुत करना।

आवधिकता : समिति की तिमाही आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार उससे पहले भी बैठक हो सकती है ।

अनुलग्नक-II

हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों (प्राथमिक और राज्य स्तरीय शीर्ष) के पुनरुद्धार के लिए योजना

वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में हथकरघा बुनकर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों तथा राज्य स्तरीय शीर्ष सोसाइटियों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी । हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार तथा पुनर्गठन पैकेज में निम्नलिखित शामिल है :-

(i) हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों के विधिक और संस्थायी ढांचे में सुधार लाना

(ii) प्राथमिक और शीर्ष स्तर पर हथकरघा सहकारी सोसाइटियों के 31 मार्च, 2010 की स्थिति अनुसार अतिदेय ऋणों और ब्याज व विस्तृत आकलन और तदोपरांत एकबारगी माफी (केन्द्र और राज्य सरकारों से " प्राप्य " को छोड़कर)

स्पष्टीकरण

क) एनपीए ऋणों के मामले में एनपीए के रुप में ऋण लेखा को वर्गीकृत किए जाने की तारीख से कोई ब्याज लागू नहीं होगा। अत: इस प्रकार के वर्गीकरण के बाद किसी अवधि के लिए एनपीए के रुप में वर्गीकृत ऋणों पर ब्याज की माफी के लिए सरकार से न तो दावा किया जाएगा और न हीं बुनकर ऋण लेने वाले से दावा किया जाएगा ।

ख) ऋण संस्थानों द्वारा बीमा प्रीमियम/निरीक्षण प्रभार इत्यादि की यदि वसूली की जाती है, तो वह भारत सरकार/राज्य सरकार से ऋण माफी सहायता के लिए पात्र नहीं होगी ।

ग) किसी सरकारी प्रायोजित योजना के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार की बैंक एंडेड सब्सिडी का माफी धनराशि तय होने से पूर्व ऋणद संस्थानों द्वारा लाभ उठाया जाएगा ।

(iii) अर्थक्षम और संभावित रुप से अर्थक्षम सोसाइटियां ही शामिल हैं ।

(iv) प्रत्येक नए ऋण के लिए 3 वर्षो तक के एक वार्षिक चक्र के लिए 3% की ब्याज सब्सिडी मुहैया कराकर हथकरघा बुनकरों को सस्ते ऋण मुहैया कराना ।

(v) बाढ़, अग्नि इत्यादि जैसी आपदा के मामले में बुनकरों को राहत मुहैया कराने के लिए धनराशि सहित ऋण गारंटी के लिए पर्याप्त धनराशि के साथ तंत्र बनाना ।

(vi) सभी अर्थक्षम और संभावित रुप से अर्थक्षम बुनकर सोसाइटियों के खातों का कंप्यूट्रीकरण करने और उसके लिए देशभर की सभी बुनकर सोसाइटियों के लिए एक साझा लेखांकन प्रणाली तैयार करना ।

(vii) ऋण माफी के लिए इस पैकेज से अदायगी ऋण के एनपीए बनने की तारीख को अतिदेय मूलधन के 100% और अतिदेय ब्याज के केवल 25% तक सीमित होगी शेष 75% अतिदेय ब्याज और समग्र अतिदेय दंड ब्याज, यदि कोई हो बैंक द्वारा एक पूर्व शर्त के रुप में बट्टे खाते में डाला जाएगा ।

(viii) राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन संस्थानों/एजेंसियों सहित केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्य राशि जो तकरीबन 300 करोड़ रुपये होगी, एक पूर्व शर्त के रुप में अलग से पैकेज से बाहर भुगतान की जाएगी ।

(ix) पुनर्पूंजीकरण सहायता जारी करना समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा संस्थायी और विधिक सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता से सम्बद्ध होगा। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने और उस राज्य में नाबार्ड की टीम द्वारा विशेष लेखा परीक्षा पूरी किए जाने के बाद भारत सरकार के अंश की 80 % धनराशि जारी की जाएगी और शेष 20 % राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिक और संस्थायी सुधारों की प्रतिबद्धता पूरी किए जाने के बाद जारी की जाएगी।

(x) भारत सरकार की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) की तर्ज पर, जिसमें बैंक अतिदेय कृषि ऋणों को बट्टे खाते में डालने के बाद ही नए ऋण जारी करने को सहमत हुए, पैकेज के अंतर्गत पुनर्पूंजीकरण और बैंकों को हथकरघा सहकारी सोसाइटियों के बकाया ऋणों की अदायगी नए ऋण देने की प्रतिबद्धता दिए जाने के अध्यधीन होगी। पुराने बकाया ऋणों की प्राप्ति के स्थानपर नए ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों की सहमति की प्रतिबद्धता ऋण आकलन दिशा-निर्देशों का अभिन्न भाग होगा।

(xi) नाबार्ड को योजना के लिए कार्यान्वियन एजेंसी नामित किया जाएगा। तथापि, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर योजना के कार्यान्वियन के मार्ग-निर्देशन और निगरानी के लिए कार्यान्वयन और निगरानी समितियां गठित की जाएगी। प्रमुख स्टेकहोल्डरों अर्थात् नाबार्ड, भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिक और संस्थायी सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने के बाद ही योजना कार्यान्वित की जाएगी।

(xii) उल्लेखनीय है कि यह धनराशि अनंतिम है और योजना अनिवार्य रूप से "मांग-मूलक" है, अर्थात् सभी 'पात्र बुनकर सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों, जो मानदंड को पूरा करते हैं, के अतिदेय ऋणों और ब्याज को माफ किया जाएगा। ऐसी माफी की वास्तविक धनराशि का केवल विशेष लेखा परीक्षा और सभी ऐसे दावों की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा।

(xiii) इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि धोखाधड़ी, गबन तथा दुर्विनियोजन इत्यादि के कारण हुई हानि के लिए धनराशि नहीं दी गई है जिसे संबंधित संस्थानों यथा प्राथमिक बुनकर सोसाइटियों/शीर्ष बुनकर सोसाइटियों (स्टेकहोल्डरों) द्वारा वहन किया जाना है।

व्याख्या और कठिनाईयों के समाधान के लिए शक्तियां

1. इस योजना के किसी पैरा और उसके तहत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न किसी संदेह के मामले में एनआईआरएमसी मामले का समाधान करेगी और एनआईआरएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

2. योजना अथवा उसके अंतर्गत किन्हीं अनुदेशों के प्रावधान को प्रभावी बनाने में उत्पन्न किसी कठिनाई के मामले में भारत सरकार कठिनाई के समाधान के प्रयोजन से जो आवश्यक अथवा अनिवार्य समझे, आदेश द्वारा कर सकती है।

3. एनआईआरएमसी को प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना में समुचित संशोधन करने की शक्तियां होगी।

हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों की हानि आकलन प्रक्रिया के प्रयोजन से विशेष लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका तैयार की जाएगी। इससे देशभर की शीर्ष बुनकर सहकारी सोसाइटियों और प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियों में ऋण आकलन की कार्रवाई करने में लेखा परीक्षकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे। इस नियम पुस्तिका में न केवल बुनकर सोसाइटियों द्वारा व्यय की गई पुनर्पूंजीकरण की वास्तविक हानि का आकलन करने में सुविधा होगी बल्कि उनकी कार्य प्रणाली की वास्तविक जानकारी मिलेगी और समस्याओं व उनके संभावित हल की भी जानकारी मिलेगी। लेखा परीक्षक वित्त वर्ष 2009-10 (31 मार्च, 2010 के अंत तक) के संदर्भ में सोसाइटियों के लेखों की विशेष लेखा परीक्षा करेंगे।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आशा है कि विशेष लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका तैयार की जाएगी जिसमें व्यापक रुप से निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा :

क्रम सं.	विवरण	कवरेज
1.	**उद्देश्य**	शीर्ष एवं प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों की हानि का आकलन
2.	**कार्य पद्धति**	• परिभाषा के अनुसार शुद्ध राशि, शुद्ध प्रयोज्य संसाधनों, बिक्री, ऋण सीमा, परिवर्तन, इत्यादि के संदर्भ में अर्थक्षम तथा संभावित रुप से अर्थक्षम

		• हानि के आकलन के लिए एक समान मानदंड और मानक तैयार करना व उपयोग करना • भारत सरकार और राज्य सरकारों व बैंकों के लिए पुनर्पूंजकरण का अंश निर्धारित करना • पूंजी पर्याप्तता और इसके आकलन के लिए मानक
3.	**विशेष लेखा परीक्षा की पूर्वापेक्षा/विशेष लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित दस्तावेज अथवा रिकार्ड**	• विवरण/रिटर्न • शेष पुष्टि प्रमाण पत्र एवं ऋण स्थिति प्रमाण पत्र • बही • अन्य रिकार्ड, स्टॉक इत्यादि का मूल्यांकन
4.	**लेखा परीक्षा कार्रवाई के दौरान तुलनपत्र में विभिन्न मदों में सुधार**	
क.	नकदी	• अल्प नकदी
ख.	बैंक में जमा राशि	• अल्प नकदी
ग.	भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अन्य राशि –सभी पूर्व प्रतिबद्धताएं	• आकलन/गणना • उपलब्ध कराई जाने वाली अपफ्रंट राशि
घ.	निवेश	• विभिन्न निवेशों के मूल्यांकन की कार्य प्रणाली • हानि, यदि कोई हो, की बुकिंग • लाभांश • अन्य सोसाइटियों में जमा राशि, जिसका परिशोधन किया जा रहा है
ड.	सदस्यों से बकाया ऋण (परिसम्पत्ति पक्ष)	• विवेचनात्मक आकलन
च.	सदस्यों से बकाया ऋण (देनदारी पक्ष)	• हानि यदि कोई हो*, का विवेचनात्मक आकलन
छ.	वित्तीय एजेंसी से उधारी (ऋण)	• बकाया उधारी का आकलन • बकाया ऋणों का आकलन • ब्याज का आकलन- कुल और एनपीए बनने तक • द्विभाजन – मूलधन और ब्याज तथा ब्याज को आगे द्विभाजित किया जाएगा जिसमें 25% * पुनर्पूंजीकरण के लिए होगा तथा शेष 75% बैंकों द्वारा वहन किया जाएगा।
ज.	अंतिम स्टॉक (सूचिका)	• कच्चे माल और तैयार माल, दोनों के स्टॉक के मूल्यांकन के लिए मानदंड • स्टॉक में कमी • एक वर्ष से अधिक का स्टॉक हानि* के रुप में लिया जाएगा • प्रमाणपत्र
झ.	विविध ऋण दाता	• विवेचनात्मक आकलन के लिए भुगतान • एनसीडीसी सहित लेकिन वित्तीय संस्थानों* को छोड़कर विभिन्न एजेंसियों से उधारियों पर बकाया देयताएं
ट.	विविध कर्जदार	• विवेचनात्मक आकलन के लिए भुगतान

		• सरकारों के अलावा प्राप्य तथा एक वर्ष से अधिक लंबित राशि • परिष्कृत माल के बिना बुनकरों की मजदूरी • परिष्कृत माल * के लिए बुनकरों की बकाया मजदूरी • संगत क्रियाकलापों और धागे* की खरीद के संबंध में अन्य बकाया देयताएं
ठ.	भूमि एवं भवन	• आकलन • मूल्य ह्रास* • किराया, कर इत्यादि
ड	मशीनरी	• मूल्यांकन एवं मूल्यह्रास
ढ.	निर्धारित परिसम्पत्ति	• मूल्यांकन एवं मूल्यह्रास
5.	**पूंजी पर्याप्तता**	• पूनर्पूंजीकरण उपरांत के एनडीआर को कार्यशील पूंजी आवश्यकता के 10% के स्तर पर लाना
6.	**अन्य**	• हानि आकलन को प्रभावी करने वाली कोई अन्य मद जो ऊपर सम्मिलित नहीं की गई है

* विशेष श्रेणी के राज्यों जहां भारत सरकार और राज्य सरकार का अनुपात क्रमश: 90:10 होगा, को छोड़कर सभी राज्यों में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 80:20 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाएगी।

नियम पुस्तिका एनआईआरएमसी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

नोट:- "नियम पुस्तिका" को नाबार्ड के परामर्श से अंतिम रुप दिया जाएगा। एनआईआरएमसी को प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस योजना में संशोधन करने की शक्तियां होंगी।

अनुलग्नक-III

<u>व्यक्तिगत बुनकरों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त जबावदेही समूहों (जेएलजी) और मास्टर बुनकरों की कार्यशील पूँजी और सावधि ऋणों को माफ कर हथकरघा बुनकरों की पुनरूद्धार योजना</u>

1. प्रस्तावना

1.1 वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट भाषण में हथकरघा बुनकरों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी ।

1.2 व्यक्तिगत बुनकरों, स्व-सहायता समूहों, संयुक्त जबावदेही समूहों और मास्टर बुनकरों की कार्यशील पूँजी और सावधि ऋणों को शामिल करके योजना के कार्यान्वियन के दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं।

2. क्षेत्र

2.1 इस योजना में प्रत्यक्ष ऋण शामिल होंगे जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य/जिला केन्द्र सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंको, इसमें इसके बाद “ऋण दाता संस्थान” के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, मास्टर बुनकरों सहित व्यक्तिगत बुनकरों, स्व-सहायता समूहों, संयुक्त जबावदेही समूहों को शामिल किया जाएगा जो प्रति व्यक्ति 50,000 रूपये की अधिकतम अतिदेय राशि के अध्यधीन है (ब्याज के पात्र हिस्से सहित अर्थात् अतिदेय ब्याज का 25 प्रतिशत)।

2.2 यह योजना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।

3 परिभाषा

3.1 “प्रत्यक्ष” ऋण का तात्पर्य उन सावधि ऋणों से है जिन्हें करघे प्राप्त करनी और आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त किया गया है तथा जिन्हें उपर्युक्त पैरा 2.1 में दर्शाए गए ऋणकर्त्ताओं की श्रेणियों और मास्टर बुनकरों को दिया गया है ताकि ऋणकर्ता संस्थानों को पूर्व प्रलेखीकरण करके बैंक के रिकार्ड के अनुसार उनके अधीन कार्य कर रहे बुनकरों की सहायता की जा सके।

स्पष्टीकरण :

1. कारीगर ऋण कार्ड, स्व-रोजगार ऋण कार्ड और प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि जैसे कार्यक्रमों के तहत हथकरघा के परियोजनार्थ लिए गए प्रत्यक्ष ऋण इस योजना में शामिल होंगे।

3.2 “मास्टर बुनकरों ” को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाएगा :

- वह स्वयं अपने/किराय पर लिए गए करघों पर मजदूरी के आधार पर बुनकरों को रोजगार प्रदान करता हो और निविष्टि (सूत, रंगाई, रसायन) की आपूर्ति, बुनकरों की आपात जरूरतों को पूरा करने के लिए नकद अग्रिम देने जैसी अन्य सेवाओं और डिजाइनिंग के संदर्भ में उनको विभिन्न प्रकार की सेवाओं में मार्गदर्शन प्रदान करता हो;

- उसे कपड़े का उत्पादन और विपणन कार्य करना चाहिए तथा वह केवल एक व्यापारी के रूप में कार्य न करता हो जो केवल तैयार माल प्राप्त करता है और उन्हें बेच देता है;
- मास्टर बुनकर द्वारा काम पर लगाए गए बुनकर वरीयता उसी गाँव/आस पास के क्षेत्र में रहते हों और कार्य करते हों;
- नाबार्ड के दिनांक 01.08.2007 के परिपत्र संख्या 143/पीसीडी-19/2007 (सभी बैंको को संबोधित) के संदर्भ में मास्टर बुनकरों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण इसमें शामिल होंगे।

4. **पात्र राशि**

4.1 माफ करने के लिए पात्र राशि (इसमें इसके पश्चात पात्र राशि के रूप में उल्लेख किया गया है) में वह राशि शामिल होगी जो 31 मार्च, 2010 की स्थिति की अनुसार अतिदेय है (मूलधन और ब्याज 25 प्रतिशत सहित) लेकिन आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी योजना या बैंक के ओटीएस के तहत विगत में ऋण दाता संस्थानों द्वारा सामान्य अवधि में पुर्निधारित किए गए ऋण शामिल नहीं हैं जिन्हें योजना की तारीख तक ऋण दाता संस्थानों द्वारा एसएआरएफएईएसआई अधिनियम/ अन्य विधायी कानूनों में शामिल किए जा रहे हैं।

स्पष्टीकरण:

क. धरोहर (प्लेज) या बंधक (हाइपोथिकेशन) के बदले दिए अग्रिम इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

ख. कारपोरेट, साझीदार फर्मों, बुनकर सहकारी सोसाइटियों और इसी प्रकार के संस्थानों को दिया गया धन इस योजना में शामिल नहीं होगा।

4.2 इस योजना में निहित किसी बात के होते हुए 31 मार्च, 2010 के बाद ऋण दाता संस्थानों द्वारा संवितरित ऋण इस योजना पर लागू नहीं होगा।

5 **माफी**

5.1 इस योजना का प्रयोजन ऋण प्रदान करके अवरूध हुई वर्तमान ऋण लाइनों को खोलकर हथकरघा बुनकरों के क्रियाकलापों को शुरू करना है। ऋण दाता संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन मामलों को गुण-दोषों के आधार पर छाँटे जिन्हें योजना के तहत शामिल किया जाना है ऐसे मामले में ऋण दाता संस्थान अतिदेय ब्याज का 75 प्रतिशत और सम्पूर्ण दंडात्मक ब्याज माफ करेंगे। बाकी राशि भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में माफ की जाएगी और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, झारखण्ड छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह 90:10 के अनुपात में माफ की जाएगी। ऋण दाता संस्थानों पर यह निर्भर करेंगा कि वे अलग-अलग मामलों के आधार पर निर्णय लें और वे इस मामले में अपने निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

5.2 उपर्युक्त के अनुसार किसी विशेष लाभार्थी के ऋण और ब्याज को तभी माफ किया जाएगा जब शाखा साथ-साथ इस बात पर सहमत होती है कि वह उस लाभार्थी को 20,000 रूपये या अधिक का नया ऋण देगी। यदि वह बैंक उस बुनकर को साथ-साथ नया ऋण देने का इच्छुक नहीं है तो उस बुनकर का ऋण इस योजना में शामिल नहीं होगा। इसलिए माफी की पूर्व शर्त के रूप में नए ऋण के लिए नई मंजूरी आदेश आवश्यक होंगे।

स्पटीकरण :

(i) एनपीए ऋणों के मामले में उस तारीख से कोई ब्याज नहीं लगेगा जब ऋण खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार वर्गीकृत किए जाने के बाद किसी अवधि के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों पर ब्याज सहित माफ करके सरकार से दावा किया जा सकता है न ही उधारकर्ता बुनकर से इसका दावा किया जा सकता है।

(ii) यदि उधारकर्ता के खाते में नामे डालकर ऋणकर्ता संस्थानों द्वारा बीमा प्रीमियम /निरीक्षण प्रभार आदि वसुल किए जाते हैं तो भारत सरकार/ राज्य सरकार से माफी सहायता के लिए वह पात्र नहीं होगा।

(iii) किसी सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत अनुज्ञेय बैक एण्डेड सब्सिडी की कोई भी किस्म माफी राशि का आंकलन किए जाने से पहले ऋणकार्ता संस्थानों द्वारा नेट की जाएगी।

(iv) 50,000 रूपये से अधिक के ब्याज सहित अतिदेय ऋण राशि के मामले में इस पैकेज के तहत माफी सहायता की राशि 50,000 रूपये तक सीमित की जाएगी और इस सीमा से अधिक की राशि का दावा या तो बुनकर उधारकर्ता से किया जाएगा या ऋणदाता संस्थानों द्वारा उसे माफ किया जाएगा।

6. कार्यान्वयन

6.1 इस योजना को प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया दोनों में व्यापक प्रचार किया जाएगा जिसमें पात्र बुनकरों को सूचित किया जाएगा कि वे माफी के लिए अपनी बैंक शाखा में आवेदन करें।

6.2 एक बारगी उपाय के रूप में इस योजना में शामिल किए गए ऋण दाता संस्थानों की प्रत्येक शाखा उन ऋणकर्ताओं की सूची तैयार करेगी जो इस योजना के तहत माफी के पात्र हैं और इसे हथकरघा बुनकर के रूप में उधारकर्ता की स्थिति के बारे में राज य सरकार के नोडल विभाग के सक्षम प्राधिकारी के साथ परामर्श करके किया जाएगा और भविष्य में उसकी ऋण की जरूरतों का संभावित आकलन भी किया जाएगा। यह सूची ऋण दाता संस्थाओं की शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसे उनके विवेक के अनुसार निर्धारित तारीख तक प्रदर्शित किया जाएगा लेकिन यह इस योजना के जारी होने की तारीख से 60 दिन के बाद नहीं होगा। यदि संभव हो तो यह सूची ऋणकर्ता संस्थानों की वेबसाइट में भी डाली जा सकती है। इसके बाद छाँटे गए ऋणकर्ताओं को योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए औपचारिक पत्र द्वारा सूचित किया जा सकता है जिसमें उनसे भविष्य में हथकरघा बुनाई के कार्य करने में उनकी इच्छा प्राप्त की जा सकती है जो वे ऋण दाता संस्थानों से ऋण प्राप्त करके कर सकते हैं।

6.3 जहाँ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी संभावित और अनुसंगी मामलों के संबंध में ऋण दाता संस्थानों को अनुपूरक अनुदेश जारी किया जाएगा लेकिन योजना के कार्यान्वयन में निर्णय से उत्पन्न सभी कानूनी विवादों को ऋण दाता संस्थानों द्वारा निपटाया जाएगा।

6.4 नाबार्ड, ऋण दाता संस्थानों को माफी सहायता जारी किए जाने के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसे नाबार्ड द्वारा यथा निर्धारित ढंग से उनके द्वारा पेश किया जा सकता है।

6.5 ऋण दाता संस्थान ब्याज राहत योजना के तहत यथा निर्धारित ब्याज दर पर, जिसे नाबार्ड द्वारा अलग से सूचित किया जाना है, हथकरघा बुनकरों को नए ऋण (उपर्युक्त पैरा 5.2 के अनुसार) ऋणदाता संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ऐसे अग्रिमों के लिए उपलब्ध ऋण गारंटी का ब्यौरा, यदि कोई हो, नाबार्ड द्वारा उसे भी पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

7. ऋण दाता संस्थानों की बाध्यताएं

7.1 प्रत्येक ऋण दाता संस्थान इस योजना के तहत पात्र बुनकरों की सूचियों की शुद्धता और विश्वसनीयता तथा प्रत्येक हथकरघा बुनकर को पात्र माफी सहायता के विवरण के लिए जिम्मेदार होगा। वह कोई भी दस्तावेज, जिसको तैयार किया गया है, जो सूची तैयार की गई है और इस योजना के प्रयोजनार्थ किसी ऋण दाता संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र में ऋण दाता संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम होने चाहिए।

7.2 प्रत्येक ऋण दाता संस्थान प्रत्ये राज्य के लिए एक या अधिक शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करेगा (उस राज्य में शाखाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए)। संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और पता उधारदाता संस्थान की प्रत्येक शाखा मे प्रदर्शित किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह संतप्त बुनकरों से अभ्यावदेन प्राप्त करें और उस पर उचित आदेश जारी करे। शिकायत निवारण अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

7.3 यदि किसी हथकरघा बुनकर को इस आधार पर शिकायत है कि उसका नाम पैराग्राफ 6.2 में उल्लिखित सूची में शामिल नहीं किया गया है तो वह उस शाखा के माध्यम से अभ्यावेदन कर सकता है जहाँ से उसने ऋण प्राप्त किया है या वह अपनी शिकायत संबंधित ऋण दाता संस्थान के शिकायत निवारण अधिकारी को सीधे ही अभ्यावदेन भेज सकता है और ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन का निपटान उसकी प्राप्ति के 30 दिन के अंदर किया जाएगा।

8. लेखा परीक्षा

प्रत्येक ऋणदाता संस्थान के खाते जिन्हें इस योजना के अंतर्गत माफी सहायता प्रदान की गई है (शाखाओं पर अनुरक्षित खातों की बहियों सहित), भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार एक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होगें । लेखा परीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों अथवा भारत सरकार द्वारा यथा अनुदेशित विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी । भारत सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, किसी ऋणदाता संस्थान अथवा ऐसे ऋणदाता संस्थानों की एक अथवा अधिक शाखाओं के मामले में विशेष लेखा परीक्षा का निर्देश दे सकती है ।

9. प्रचार-प्रसार

9.1 इस योजना की अंग्रेजी तथा शासकीय भाषा अथवा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की भाषाओं में तैयार एक प्रति योजना के अंतर्गत शामिल ऋणदाता संस्थानों की प्रत्येक शाखा पर प्रदर्शित की जाएगी।

9.2 इस योजना की एक प्रति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नाबार्ड तथा सभी ऋणदाता संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

10. व्याख्या और कठिनाइयों के समाधान के लिए शक्तियां

10.1.इस योजना के किसी पैरा और उसके तहत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न किसी संदेह के मामले में एनआईआरएमसी मामले का समाधान करेगी और एनआईआरएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

10.2.योजना अथवा उसके अंतर्गत किन्हीं अनुदेशों के प्रावधान को प्रभावी बनाने में उत्पन्न किसी कठिनाई के मामले में भारत सरकार कठिनाई के समाधान के प्रयोजन से जो आवश्यक अथवा अनिवार्य समझे, आदेश द्वारा कर सकती है ।

11. एनआईआरएमसी को प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना में समुचित संशोधन करने की शक्तियां होगी ।

अनुलग्नक-IV

पैकेज के तहत प्रस्तावित कानूनी और संस्थागत सुधार

हथकरघा बुनकर समितियों का पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज, कानूनी और संस्थागत सुधार पर निर्भर होगा। यह भी आवश्यक है कि हथकरघा बुनकर समितियों के कार्यकलाप में कानूनी तथा प्रशासनिक ढांचे में विशिष्ट परिवर्तन करने हेतु, औपचारिक वचनबद्धता देगी। यद्यपि पैकेज के प्रस्ताव को स्वीकार करना तथा सम्मिलित होना, राज्य सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा, परन्तु एक बार अपनी सहमति देने के बाद राज्य सरकार तथा बुनकर समितियों को पैकेज के सभी प्रस्ताव एवं शर्तें पूर्ण रूप से माननी पडेंगी।

अ कानूनी सुधार

1. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को अर्थक्षम संभावित रूप से अर्थक्षम तथा गैर -अर्थक्षम में वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तावित पैकेज से गैर -अर्थक्षम इकाइयों को बाहर रखा गया है। गैर-अर्थक्षम इकाइयों से संबंधित निर्णय पूर्णत: राज्य को लेना है, क्योंकि पैकेज में इनके लिए कोई पुनर्वित्त का प्रस्ताव नहीं है।
2. राज्य सरकार राज्य सहकारी समिति अधिनियम/समितियों के उप-नियमों के संगत प्रावधानों में संशोधन की पहल करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि :-
   - बुनकर समितियों के कार्यकलाप और प्राथमिक तथा शीर्ष समितियों के निदेशकों का चुनाव समय से तथा प्रजातांत्रिक ढंग से हो-
   - प्राथमिक तथा शीर्ष बुनकर समितियों की व्यवस्था एवं संचालन में व्यवसायीकरण लाना
   - हथकरघा बुनकर समूहों/ग्रुप के सदस्यों, मास्टर बुनकरों और उत्पादक कम्पनियों के वित्त पोषण के लिए सहकारी बैंकों को सक्षम बनाना
   - निम्नलिखित के संबंध में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में कार्यात्मक स्वायत्ता सुनिश्चित करना:-

   i कार्मिक नीति एवं स्टाफिंग पैटर्न

   ii भर्ती, तैनाती और स्टाफ को मुआवजा

   iii आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, ऑडिटरों की नियुक्ति तथा लेखा-परीक्षा की क्षतिपूर्ति

   iv सेवा शर्तें, नियुक्ति, वेतन संरचना और स्टाफ के चयन की पद्धति

   v. समितियों को अपने कार्य संचालन के लिए भौगोलिक सीमाओं में प्रतिबंधित किए जाने की अनिवार्यता के बिना किसी भी स्तर पर इस संरचना में प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता

3. राज्य के अन्दर अथवा बाहर सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थानों/एजेंसियों को उत्पादों का विपणन करने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना।

4. बुनकर समितियों द्वारा रोजमर्रा के वित्तीय निर्णय लिए जाने और बी.आर. अधिनियम, 1949 के अंतर्गत नियंत्रित किसी वित्तीय संस्थान के साथ वित्तीय लेन-देन करने पर लगे प्रतिबंध, यदि कोई हो, को हटाना। बुनकर समितियों को बाजार में अपनी ऋण साख के आधार पर अपने संसाधनों को पूरा करने के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की स्वतंत्रता।
5. वित्तीय व्यवस्था में राज्य की प्रत्यक्ष दखलंदाजी जो सहकारी समितियों के स्वास्थ्य के लिए बाधक हो, पूर्णत: समाप्त किया जाना।
6. हथकरघा उत्पादों की अद्वितीयता के परिरक्षण और विद्युतकरघों द्वारा अप्राधिकृत नकल किए जाने से रोकने के लिए वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं उत्पादन), अधिनियम, 1999 को उपयोग में लाना।
7. यह सुनिश्चित करना कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा बुनकर सहकारी समितियों के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति सहकारी समितियों द्वारा अपने मानकों के अन्दर स्वयं की जाए और यह भी कि वे अपनी सेवा शर्तों के अनुसार निर्णय लें। सभी कर्मचारी केवल बुनकर सोसायटी बोर्ड के प्रति ही जवाबदेह हो।

ब. संस्थागत सुधार

1. पूँजी की पर्याप्तता और भण्डार के लिए सही मानक तय किए जाए जिससे समितियाँ ढंग से चल सकें।
2. प्राथमिक तथा शीर्ष समितियों के सभी बकाया तथा लंबित छूट/दावों के निपटान की व्यवस्था करना।
3. बेकार पड़े करघों को पुन: सक्रिय करना और अर्थक्षम व संभावित रूप से अर्थक्षम सोसायटियों में व्यर्थ/निष्क्रिय करघों को पुनरुज्जीवित करना
4. बुनकरों से ली गयी भविष्य निधि राशि के उपयुक्त निवेश तथा प्रशासन के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है । जिसे वर्तमान में पी.डब्ल्यू.सी.एस. में रखा गया है, डी.सी.सी.बी. के बचत खाते में रखा जाए।
5. बुनकरों के ऋण पर उधार गारंटी के लिए व्यवस्था करना।
6. आग, बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक प्रकोप से भण्डार, निर्माणाधीन कपड़े के नुकसान क्षति के कारण बुनकरों की उत्पादन हानि के लिए बीमा योजना शुरू करना।
7. सक्षमता के आधार पर समितियों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता।
8. बुनकर सहकारिताओं के लेखों का अद्यतन करने के लिए तात्कालिक उपाय करना।
9. शीर्ष तथा प्राथमिक बुनकर समितियों की अद्यतन लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
10. पैकेज में प्रस्ताव के अनुसार शीर्ष तथा प्राथमिक बुनकरों बैलेंसशीट ठीक करने के लिए उपाय करना।
11. शीर्ष एवं प्राथमिक बुनकर समितियों को वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध कराना।
12. सी.ए. द्वारा सभी प्राथमिक बुनकर क्रेडिट समितियों की नियमित ऑडिट करना तथा यह सुनिश्चित करना कि समिति के विवेकानुसार राज्य की वर्तमान ऑडिट मशीनरी अथवा सी.ए. द्वारा प्राथमिक बुनकर समितियों का नियमित ऑडिट हो।
13. नाबार्ड द्वारा साझा लेखांकन प्रणाली (सी.ए.एस.) तथा प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) अपनाने के लिए
    - उत्तरदायित्व एवं हाउसकीपिंग जैसे कम्पोनेंट शुरू करना।

- घाटा उठाने वाले शोरूम को बंद करना/ छटनी करना/क्षेत्रीय कार्यालयों का विलय/उनके प्रचालन को दुरूस्त करके व्यवसाय का पुनर्गठन करना।
- अधिक पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रबंधन तरीकों से एच.आर.डी. द्वारा सुदृढ़ करना (सी.एस.,एम.आई.एस. व्यवसाय योजना आदि की तैयारी। इस संबंध में नाबार्ड के सहयोग से प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- प्राथमिक स्तर पर बुनकर समिति के कम्प्यूटरीकरण के लिए योजना शुरू करना।

इस पैकेज के अंतर्गत निधियों को बुनकर समितियों के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाकर, पुनरूद्धार पैकेज के वास्तविक कार्यान्वयन की प्रगति से जोड़ा जाएगा:-

1. राज्य सरकार के प्राथमिक बुनकर समितियों की ओर बकायों की रिलीज को आवश्यक पूर्व शर्त रखना।
2. कानूनी और संस्थागत सुधार प्रक्रिया आरंभ करने हेतु कदम उठाना।

इसके अलावा राज्य सरकार इस बात पर भी सहमति देगी :-

1. वह सिद्धांत तय किया जाएगा जिसके तहत अर्थक्षम अथवा संभावित रूप से अर्थक्षम सोसायटियों और गैर- अर्थक्षम सोसायटियों को ही सहायता प्रदान की जाएगी
2. संस्थागत समितियाँ, जो पात्र है, को सहायता की मात्रा का निर्धारण इस आधार पर होगा कि कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात नाबार्ड की देखरेख में 2009-10 तक विशेष ऑडिट होगा।
3. बुनकर समितियों को व्यवसाय की वृद्धि एवं ऋण प्रबन्धन में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर लोगों को प्रशिक्षित करने, आंतरिक लेखांकन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम में भाग लेना।

अनुलग्नक-V

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन________________________________के____________________________________वें दिन को प्रथम पक्षकार के लिए, **भारत के राष्ट्रपति** (इसके पश्चात् " केन्द्र सरकार" के रुप में उल्लिखित) के प्रतिनिधि के रुप में____________________

और

द्वितीय पक्षकार के लिए,_________________ राज्य के राज्यपाल (इसके पश्चात) " राज्य सरकार" के रुप में उल्लिखित) के प्रतिनिधि के रुप में____________________

और

तृतीय पक्षकार के लिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित निगम निकाय है और जिसका प्रधान कार्यालय सी-24, जी- ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई-400051 में है, जिसे इसमें इसके पश्चात " नाबार्ड" के रुप में उल्लिखित किया जाएगा (जब तक इसके संदर्भ अथवा अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और समानुदेशन शामिल है)

के बीच निष्पादित किया गया है।

यत:

1. राष्ट्रीय प्राथमिकता के रुप में यह विचार किया जाना आवश्यक है कि हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और पैकेज कार्यान्वित किया जाए जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) शीर्ष /क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियां

(ख) सहकारी क्षेत्र में निचले स्तर पर प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियां

2. पैकेज के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और नाबार्ड की अनुपूरक भूमिका को, विशेष रुप से नीति संबंधी मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने, विकास पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए निधि संबंधी सहायता प्रदान करने, कार्यान्वयन, मानीटरिंग और प्रगति आदि के पर्यवेक्षण संबंधी रणनीतियों के बारे में निर्देश देने, सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

3. इसमें ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और नाबार्ड के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार और सुधार के संबंध में राज्य सरकारों के साथ केन्द्र द्वारा की गई आम सहमति हथकरघा क्षेत्र (इसमें इसके पश्चात राज्य सरकार के रुप में उल्लिखित) के पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएं।

अब अत: पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित सहमति हुई है :-

1) **मूल शर्तें:**

पैकेज की योजना की मूल शर्तें निम्नलिखित हैं :-

(क) योजना के उचित कार्यान्वियन के लिए पैकेज में किए उल्लेख के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारें पर्याप्त संसाधन जारी करेगी, इस ज्ञापन के अनुलग्नक-क के रुप में संलग्न पैकेज, इस ज्ञापन का अभिन्न अंग माना जाएगा ।

(ख) बुनकरों के विकास के लिए राज्य विशेष के चल रहे कार्यक्रमों में, यदि कोई हों, इनके उद्देश्यों में परिवर्तन किए बगैर आवश्यक लचीलापन लाया जाएगा ।

(ग) राज्य सरकार पैकेज के कार्यान्वियन के लिए सावधानी के रुप में कानूनी और संस्थागत सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

(घ) पैकेज की व्यवस्था और कार्यान्वियन संबंधी मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर पर गठित कार्यान्वियन मॉनीटरिंग और समीक्षा समिति को भेजे जाएंगे और इसका निर्णय वाध्यकारी ।

(ङ) नाबार्ड, पैकेज की कार्यान्वियन एजेंसी होगा ।

2) **क्षेत्र और विस्तार**

क) हथकरघा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने और हथकरघा बुनकर परिवारों के लिए कल्याणकारी उपाय करने के लिए हथकरघा क्षेत्र में प्री-लूम और पोस्ट-लूम क्रियाकलापों में लिप्त एजेंसियों सहित सहकारिता क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों का सतत आधार पर निम्नलिखित के अनुसार संवर्धन और विकास करने के लिए ।

(i) हथकरघा क्लस्टरों पर जोर देते हुए हथकरघा बुनकर ग्रुप संरचना केन्द्र बनाना जिसमें मास्टर बुनकरों,प्राइवेट उद्यमियों , व्यक्तिगत बुनकर परिवारों, अनर्थक्षम प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों आदि के सदस्यों को हथकरघा बुनकर ग्रुप योजना में निर्धारित किए गए ढंग से एजेंसियों से एक या अधिक सदस्य लेना ।

(ii) कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत ग्रामीण उत्पादक कम्पनियों बनाना जिसमें ट्रेटर, उद्यमी, निजी तथा सार्वजनिक कम्पनियाँ, अर्थक्षम प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियाँ आदि शामिल होंगे।

(ii) ऐसे मास्टर बुनकर के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देना जो एचडब्ल्यू जी में बुनकर/सदस्यों का उत्पादन, वेतन, विपणन सहायता, डिजाइन अपग्रेड सहायता आदि बढ़ायेगा।

(ख) केन्द्र सरकार ने नाबार्ड को पैकेज के कार्यान्वियन के लिए प्राधिकृत किया है।

(ग) पैकेज के अन्तर्गत सहायता के अतिरिक्त नाबार्ड पात्रता के अनुसार पुन: वित्त-पोषण सहायता इस शर्त पर प्रदान कर सकता है कि समितियाँ नाबार्ड से पुन:वित्त पोषण की मांग करेगी तथा राज्य सरकार इस उत्तरदायित्व को पूरा करेगी जैसा कि पैकेज में दर्शाया गया है।

3) <u>नाबार्ड की भूमिका</u>

एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नाबार्ड:-

(क) पैकेज के अंतर्गत फंड सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता की मात्रा का आकलन करेगा।

(ख) दिनांक 31.03.2010 तक अतिदेय ऋण और अतिदेय ब्याज माफी द्वारा प्राथमिक तथा शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों को उपयुक्त राहत उपाय प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करेगा। निधियों को माफ करने के लिए आवश्यक धनराशि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा पैकेज के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।

(ग) बुनकर सहकारी सोसाइटियों को बैंक द्वारा प्रदान ऋण के प्रति पुनर्वित प्रदान करेगा।

(घ) हथकरघा सहकारी सोसाइटियों को बैंक द्वारा प्रदान ऋण के प्रति पुनर्वित प्रदान करेगा।

(ड.) इस पैकेज के उपबंधों को ध्यान मे रखते हुए बुनकर क्षेत्र संबंधी इसके भविष्य के विकासात्मक तथा संवर्धनात्मक कार्यक्रम की योजना बनाएगा।

(च) हथकरघा क्षेत्र (बैंको, शीर्ष बुनकर सोसाइटियों तथा प्राथमिक बुनकर सोसाइटियों) में दावेदारों की प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा प्रबंधन प्रचालन और वित्तीय मामलों के क्षेत्र में बनाने के उद्देश्य से उपाय करेगा।

(छ) कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देश इस प्रकार जारी करेगा :

i प्राथमिक बुनकर सोसाइटियों तथा शीर्ष हथकरघा बुनकर सोसाइटियों के कर्मचारियों को वित्तीय तथा उत्पादन तथा विपणन योग्यता पर प्रशिक्षण ।

ii एनजीओ/कार्यान्वयन बैंको राज्य हथकरघा निदेशालय तथा नाबार्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षण जो हथकरघा बुनकर समूहों को प्रोत्साहन देते हैं।

iii योग्यता, डिजाइन विकास तथा विपणन योग्यताओं के लिए प्राथमिक बुनकर सोसाइटियों के सदस्यों, मास्टर बुनकर उद्यमियों का प्रशिक्षित करना ।

(ज) प्राथमिक बुनकर सोसाइटियाँ तथा शीर्ष बुनकर सोसाइटियों के संबंध में पूरे देश के लिए सामान्य लेख प्रणाली (सीएएस) तथा एमआईएस का विकास करेगा।

(झ) एनजीओ/बैंको/अन्य एजेंसियों द्वारा हथकरघा बुनकर समूहों को आयोजित करेगा तथा उन्हें नाबार्ड की पुनर्वित सहायता के साथ ऋण सहायता हेतु बैंकों से जोड़ेगा।

(त्र) करघों की तकनीक, पोस्ट लूम तथा प्री-लूम प्रक्रिया के विकास के लिए विश्वविद्यालयों/आईआईटी/आईआईएम या ऐसे मान्यताप्राप्त संगठनों को अनुसंधान के लिए आवश्यकता के आधार पर सहायता प्रदान करेगा।

(ट) शीर्ष तथा प्राथमिक बुनकर सोसाइटियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु दिशा-निर्देश बनाएगा।

4) <u>केन्द्र सरकार की भूमिका</u>

हथकरघा क्षेत्र के विकास में एक मुख्य दावेदार के रूप में केन्द्र सरकार:

(क) जैसा कि पैकेज में परिकल्पना की गई है कि प्राथमिक तथा शीर्ष हथकरघा सोसाइटियों की तुलन-पत्र को सही करने के लिए निधियाँ आबंटित करेगी तथा साथ ही बैंको द्वारा वित्त पोषित व्यक्तिगत बुनकरों को राहत भी प्रदान करेगी।

(ख) केन्द्र सरकार अतिदेय ऋण एवं ब्याज की बाकी के लिए राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के सहयोग से एक योजना/पैकेज बनाएगी।

(ग) वर्तमान पिटलूम को जैकार्ड लूम तथा फ्रेम लूम में बदलने तथा यार्न बैंक जैसे अनिवार्य अवसंरचना के सृजन के लिए बुनकरों को सहायता प्रदान करेगी।

(घ) एकीकृत ऋण तथा विपणन सहायता प्रदान करने हेतु बुनकर, क्राफ्ट मैन, ट्रेडर आदि को संगठित करने के लिए ग्रामीण उत्पादक कम्पनियों/सार्वजनिक निजी भागीदारियों को मान्यता देने के उपाय करेगी।

(ड़) केन्द्र/राज्य सरकारों की बैंक की जाने वाली अनुदान उन्नमुख योजनाओं को बैंक ऋण के साथ जोड़ेगी।

(च) हथकरघा बुनकरों के लिए ऋण गांरटी योजनाओं तथा ब्याज वित्त योजनाओं को चलाने में नाबार्ड को नोडल एजेंसी का उत्तरदायित्व सौपेगी।

(छ) पैकेज के अन्य घटको के लिए निधियों और बजटीय सहायता प्रदान करेगी जो मुख्यत: (i) एचआरडी) (ii) कार्यान्वियन लागत (iii) प्राथमिक/शीर्ष बुनकर सोसाइटियों को कम्पयूटरीकरण (iv) सामान्य लेखा प्रणाली तथा एमआईएस डिजाइनिंग होगा।

(ज) हथकरघा उत्पादों के विपणन जैसे कि ब्रांडिंग, प्राइसिंग, लक्ष्य बनाना, मीडिया प्रचार, वेबसाइट विकास, गठबंधन, निजी क्षेत्र से सहभागिता, निर्यात के अवसर तलासने आदि के लिए एक व्यापक योजना बनाएगी।

(झ) ग्रामीण उत्पादन कम्पनियों के पंजीकरण एवं प्रचालन को असान बनाने के लिए उपयुक्त मानदंड एवं कानून बनाएगा।

(त्र) ग्रामीण हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए नए कदम उठाने हेतु राष्ट्रीय नीति तथा समीक्षा फोरम गठित करेगी।

5. <u>राज्य सरकार की भूमिका</u>

(1) हथकरघा बुनकरों के विकास में एक मुख्य दावेदार के रुप में राज्य सरकार :

(क) भारत सरकार तथा नाबार्ड के अनुरोध पर शीर्ष तथा प्राथमिक बुनकर सोसाइटी की विशेष लेखा परीक्षा करने तथा निर्धारित समय पर रिपोर्ट जमा करने की व्यवस्था करेगी ।
(ख) हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से शामिल होगी तथा इसे तर्क संगत रुप से चलाएगी ।
(ग) अपनी वचनबद्धता को पूरा करने हेतु पर्याप्त मानवीय और वित्तीय संसाधन आबंटित करेगी, जैसा केन्द्र सरकार चाहेगी।
(घ) विकसित किए जाने वाले बुनकर सहकारिताओं के लिए साझा लेखांकन प्रणाली अपनाने हेतु सहमत होगी।

(ङ) नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के समन्वय से हथकरघा बुनकरों पर एक डाटा बैंक तथा वेबसाइट का विकास एवं व्यवस्था करेगी ।

(च) पैकेज के प्रावधानों के अनुसार राज्य में हथकरघा बुनकर समूह के गठन में बैंकों/गैर सरकारी संगठनों की सहायता करेगी।

(छ) राज्य में हथकरघा क्लस्टरों की पहचान करने में शामिल होगी ।

(ज) प्राथमिक एवं शीर्ष सोसाइटियों के लेखा परीक्षा को अद्यतन करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित करेगी । इस संबंध में शीर्ष सोसाइटियों हेतु चार्टर्ड एकाउटेंट की सेवाओं का उपयोग करने पर विचार किया जाएगा ।

(II) राज्य सरकार राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियमों तथा उप-नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी ताकि सुधार संबंधी उपायों का कार्यान्वयन हो सके, जैसा कि पैकेज में निम्नलिखित पहलुओं पर विशिष्ट उल्लेख किया गया है:

(i) बुनकर सहकारी सोसाइटियों को वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में, विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वायतता प्रदान करना :

(क) उधारियां और निवेश,

(ख) कार्मिक नीति, स्टाफ व्यवस्था, भर्ती, तैनाती तथा स्टाफ का मुआवजा भारत सरकार द्वारा तैयार मानदंडों के अनुसार होगा

(ग) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा लेखा परीक्षकों के लिए मुआवजा तथा

(घ) निविष्टियों की खरीद तथा परिष्कृत उत्पादों की बिक्री

(ii) कारोबार के संबंध में इसके प्रचालन के लिए भौगोलिक सीमाओं के अनिवार्य प्रतिबंध के बिना बुनकर सोसाइटियों को प्रवेश और निकास की आजादी प्रदान करना । तथापि सोसाइटियों की सदस्यता जिला/राज्य की सीमाओं तक सीमित की जा सकती है ।

(iii) कारोबारी/वित्तीय मामलों पर किसी निदेशात्मक आदेश को वापिस लेना ।

(iv) शीर्ष सोसाइटियों/प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटियों द्वारा लाभांश के भुगतान के प्रयोजन से ठोस नीति संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करना

(v) राज्य सरकार बुनकर सोसाइटियों की कार्यप्रणाली में सुविधा प्रदान करेगी तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अन्य के साथ-साथ आरसीएस के स्थान पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखा जा सकता है:

- i) यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता अथवा धोखाधड़ी का पता चलता है
- ii) यदि इसके लिए कोई न्यायिक निर्देश हैं अथवा स्थायी कोरम की कमी है

(vi) सामयिक चुनाव सुनिश्चित करना

(vii) हथकरघा बुनकर समूहों, मास्टर बुनकरों तथा उत्पादक कंपनियों के वित्त पोषण के लिए सहकारी संस्थानों को वित्त पोषण के लिए समर्थ बनाना

(viii) किसी विधान के अंतर्गत स्थापित किसी वित्तीय संस्थान से ऋण सहायता पाने के लिए प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसाइटी /शीर्ष सोसाइटियों को समर्थ बनाना

6) इस पैकेज के कार्यान्वयन में सभी सम्बद्ध संस्थाओं की भागीदारी के लिए राज्य द्वारा तत्काल आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएंगे ।

7) कमजोर शीर्ष हथकरघा बुनकर सोसाइटियों को विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा ।

8) राज्य सरकार, नाबार्ड, एसएलबीसी संयोजक, एमडी (एससीबी), सीईओ (शीर्ष बुनकर सोसाइटी) इत्यादि से शामिल कार्मिकों के साथ प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के लिए **राज्य स्तरीय कार्यान्वयन, मानीटरिंग तथा समीक्षा समितियों (एसआईएमआरसी) का गठन।** राज्य का नोडल विभाग मासिक बैठक आयोजित करेगा ।

9) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राष्ट्र स्तरीय कार्यान्वयन, मानीटरिंग एवं समीक्षा समिति (एनआईएमआरसी)** गठित की जानी है । यह समिति किसी भी नीति संबंधी मामले पर नीति निर्माण निकाय तथा क्लीयरिंग हाउस होगी तथा पैकेज के समग्र कार्यान्वयन को भी देखेगी। एसआईएमआरसी द्वारा न निपटाए गए मामलों को एनआईएमआरसी को भेजा जाएगा।

तत्संबंधी गवाह के रुप में पक्षकारों ने उपर्युक्त तारीख, माह तथा वर्ष को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के लिए और उसकी ओर से प्रतिनिधि _______________द्वारा
हस्ताक्षरित, मोहरबद्ध तथा सुपुर्द -

निम्नलिखित की उपस्थिति में :
1.
2.

निदेशक, हथकरघा/वस्त्र,_________________ राज्य सरकार के लिए और उसकी ओर से प्रतिनिधि _________________द्वारा
हस्ताक्षरित, मोहरबद्ध तथा सुपुर्द -
निम्नलिखित की उपस्थिति में :
1.
2.
नाबार्ड के लिए और उसकी ओर से प्रतिनिधि _______________द्वारा
हस्ताक्षरित, मोहरबद्ध तथा सुपुर्द -
निम्नलिखित की उपस्थिति में :
1.
2.